तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लादुसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ.अपील सं0 23/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	अपीलार्थी लादुसिंह पुत्र गोरधनसिंह राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का बास बरसीगा बड़ला बासनी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08...2023. में उसके द्वारा (1) मथानिया से तिंवरी होते हुए देचू हाईवे की भूमि 22 से 100 फुट तक कार्य कर हे है खसरा नम्बर 204/122 व 204/248 की आवप्ति के लिए निकाले गये नोटिस व विज्ञापन सहित जो भी पत्राचार निम्न व उच्च अधिकारियों के साथ किया गया की समस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से जरिये पत्रांक 1623 दिनांक 30.11.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय पी.पी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर (33–34 अशोक विहार, बोधी इन्टरनेशनल स्कूल के पास शिकारगढ, जोधपुर) से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय पी.पी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर को हस्तान्तरित कर दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय परियोजना निदेशक, पी.पी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर (33–34 अशोक विहार, बोधी इन्टरनेशनल स्कूल के पास शिकारगढ, जोधपुर) से संबंधित होने से उनको जरिये पत्रांक 638 दिनांक 12.09.2023 द्वारा स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उक्त विभाग के द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर प्रथम अपील सुनने का श्रेत्राधिकार इस कार्यालय का नहीं है। बिन्दु सं0 2 की सूचना तहसीलदार तिंवरी द्वारा दी गई [illegible] स्पष्ट नहीं किया है अतः तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है [illegible] अप्रार्थी को सूचना नहीं दी गई हो, तो तुरन्त सूच[illegible] उपलब्ध कर[illegible] उपरोक्तानुसार [illegible] का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संब[illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:32 IST
Reason: SelfAttested